नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—78 / 2018 वाद पत्र

उनवान

1—श्रीमती टीपुदेवी पत्नी मांगीलाल भील आयु वयस्क निवासी उमरी तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

वादियां

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
2— बाबुलाल आत्मज सुखलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
3— भीकमचन्द आत्मज सुखलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
4— श्रवणलाल आत्मज सुखलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

अधिवक्ता वादियां

1. हरिश टेलर —

निर्णय

दिनांक 07.03.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में बिलानाम काबिल काश्त की साबिक आराजी संख्या 5 मीन रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित थी। जिसमें से 6 बीघा भूमि रत्ता आत्मज अमरा भील निवासी सरेवड़ी को आवंटित की गई। जिसका नामान्तरणकरण संख्या 39 उस आवंटी के नलाम दर्ज कर दिनांक 21.04.1962 को फैसल किया गया । व गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। तथा रत्ता आत्मज अमरा भील को आवंटित की गई भूमि के बट्टा नम्बर 5/5 रकबा 6 बीघा भूमि दर्ज कर कायम किये गये । प्रमाण में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 तक साथ पेश हैं। रत्ता आत्मज अमरा भील निवासी सरेवड़ी को आंवटित भूमि की साबिक आराजी संख्या 5/5 रकबा 6 बीघा भूमि को तत्कालीन नक्शें में भी तरमीमात कर दी गई। व उक्त आवंटन शुदा भूमि का कब्जा भी आवंटी को सौंप दिया गया । तब से ही आवंटी का कब्जा चला आ रहा था तथा उक्त आवंटन भूमि की आराजी संख्या 5/5 रकबा 6 बीघा भूमि का मौके पर 1 ही चक था । व साबिक नक्शे अनुसार काबिज हैं। रत्ता आत्मज अमरा भील की मृत्यु होने से उसके पुत्र लेहरू के नाम

पर आई। तहसील रायपुर का नवीन बन्दोबस्त हुआ जिसमें ग्राम सरेवड़ी का भी नवीन सेटलमेंट किया गया। जिसमें ग्राम सरेवड़ी की उक्त साबिक आराजी संख्या 5/5 रकबा 6 बीघा के नवीन नम्बर 129 रकबा 0.36 हैक्ट, 131 रकबा 0.94 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 हैक्ट. कायम किये गये। परन्तु में मिलान क्षैत्रफल की प्रति साथ प्रस्तुत हैं। जो लेहरू पिता रत्ता के नाम पर ही चलती रही व वह काबिज रहा । दौराने सेटलमेंट साबिक रकबा के मुकाबले नवीन रकबा सही कायम किया गया किन्तु सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक अधिकार व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नवीन नक्शें को साबिक नक्शें व मौके की स्थिति के अनुरूप तरमीम नहीं कर साबिक नक्शें व मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम कर दिया गया। व बीच में रास्ता दर्ज कर दिया गया। जिससे मौके की स्थिति व नवीन व साबिक रेकार्ड की स्थिति बिगड़ गई। तथा नवीन आराजियात को वादियां ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 30.3.2009 व 25.04.2013 को लेहरू आत्मज रत्ता भील से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया । जिससे वादियां रत्ता आत्मज अमरा भील के बजाय खातेदार बतौर खातेदार दर्ज हो गई। व साबिक नक्शें व मौके की स्थिति के अनुरूप जहां पर पूर्व आवंटी खातेदार रत्ता बैठा था। वही पर वादियां काबिज हुई तथा चारदीवारी बनाई, टयुबबेल लगवाई व लाखों रूपये लगाकर उपजाउ बनवाई हैं। जिससे नवीन नक्शें को दुरूस्त करवाया जाना नितांत आवश्यक हो गया हैं। वर्तमान में साबिक नक्शें अनुसार वादियां का कब्जा हैं किन्तु साबिक नक्शें पर नवीन नक्शें को रखने व मिलान करने पर वादियां का कब्जा नवीन आराजी संख्या 99 रकबा 0.38 हैक्ट. बिलानाम व आराजी संख्या 129 रकबा 0.36 हैक्ट. भूमि पर तथा आराजी संख्या 131 रकबा 0.94 हैक्ट में से 0.56 हैक्ट. पर दक्षिणी भुजा पर आता हैं। जिससे वादियां आराजी संख्या 99 रकबा 0.38 हैक्ट., 129 रकबा 0.36 हैक्ट कुल रकबा 1.30 हैक्ट को अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारीणी हैं। तथा इसके विकल्प में आराजी संख्या 131 रकबा 0.94 हैक्ट. में से उत्तरी भुजा की तरफ 0.38 हैक्ट. भूमि बिलानाम कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने तथा तद्नुसार नवीन नक्शें में तरमीमात करने की अधिकारीणी है। उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु ग्राम सरेवड़ी की बिलानाम आराजी संख्या 99 रकबा 0.38 हैक्ट. को वादियां के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर इसके बदले वादियां की खातेदारी की आराजी संख्या 131 रकबा 0. 94 हैक्ट. में से 0.38 हैक्ट. भूमि उत्तरी तरफ वाला हिस्सा बिलानाम दर्ज करने व तद्नुसार नवीन राजस्व नक्शें में तरमीमात करने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरवाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया हैं। दिनांक 10.04.2018 को वादियां ने उक्त भूमि की नकल व नक्शा सीमा जानकारी हेतु निकलवाया तो पटवारी हल्का द्वारा यह जानकारी दी गई इस पर समस्त रेकार्ड निकलवाया गया और यह वाद पत्र प्रस्तुत कर ही हूँ। बिनाय वाद दिनांक 10.04.2018 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। और यह वाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 26.09.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1

मौजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध वादियां के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर की आराजी संख्या 99 रकबा 0.38 हैक्ट. को वादियां के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने व वादियां के खातेदारी की आराजी संख्या 131 रकबा 0.94 हैक्ट में से 0.38 हैक्ट. भूमि जो उतरी दिशा की तरफ वाला हिस्सा को बिलानाम दर्ज कर तद्नुसार नवीन नक्शे को तरमीमात करने व इन्द्रात दुरूस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादियां अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादियां का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर की आराजी संख्या 99 रकबा 0.38 हैक्ट. को वादियां के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने व वादियां के खातेदारी की आराजी संख्या 131 रकबा 0.94 हैक्ट में से 0.38 हैक्ट. भूमि जो उतरी दिशा की तरफ वाला हिस्सा को बिलानाम दर्ज कर तद्नुसार नवीन नक्शे को तरमीमात करने व इन्द्रात दुरूस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्द सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–78 / 2018 वाद पत्र

उनवान

1–श्रीमती टीपुदेवी पत्नी मांगीलाल भील आयु वयस्क निवासी उमरी तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा **वादियां**

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
2– बाबुलाल आत्मज सुखलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
3– भीकमचन्द आत्मज सुखलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
4– श्रवणलाल आत्मज सुखलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा । **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादियां स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर की आराजी संख्या 99 रकबा 0.38 हैक्ट. को वादियां के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने व वादियां के खातेदारी की आराजी संख्या 131 रकबा 0.94 हैक्ट में से 0.38 हैक्ट. भूमि जो उतरी दिशा की तरफ वाला हिस्सा को बिलानाम दर्ज कर तद्नुसार नवीन नक्शे को तरमीमात करने व इन्द्रात दुरुस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

यह आज तारीक 07.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा